Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी राहुल को हुआ 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2007 में अभियुक्त राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी टांडा माजरा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 208/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.05.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सोनू को हुआ 07 माह का कारावास व 1,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त सोनू पुत्र प्रेम सिंह निवासी सुभाषनगर कस्बा कैराना थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध थाना रमाला पर मु0अ0सं0 300/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.05.2024 को मा0 न्यायालय ए.सी.जे.एम. जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सोनू को दोषी पाते हुए 07 माह के कारावास व 1,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना एएचटीयू दिनाँक 30-05-2024

थाना एएचटीयू बागपत, श्रम प्रर्वतन अधिकारी व बाल कल्याण अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गये बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन अभियान में 03 बाल श्रमिकों का कराया गया रेस्क्यू।

कार्यवाही-

आज दिनांक 30-05-2024 को थाना एएचटीयू बागपत, श्रम प्रर्वतन अधिकारी व बाल कल्याण अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा "बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन" अभियान चलाया गया । जिसमें थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से 03 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। बाल श्रमिक को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेश किया गया। सीडब्लूसी बागपत द्वारा बाल श्रमिक के परिजनों को भविष्य में बाल श्रम न कराने की चेतावनी देते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया।

रेस्क्यू करने वाली टीम-

1-श्रम प्रर्वतन अधिकारी श्री एसपी गौतम मय टीम।

2-जनहित फाउन्डेशन टीम

3-थाना एएचटीयू बागपत टीम।